संख्या–वे0आ0–2–2051/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में दी गयी निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध नर्सिंग संवर्ग के पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निम्न तालिका के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निर्धारित किये जायें :—

क0सं0	वर्तमान व्यवस्था		संस्तुत व्यवस्था	
	वेतनमान (रू0) पदनाम	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (रू0) पदनाम	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5000–8000 स्टाफ नर्स	वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4200	7450–11500 स्टाफ नर्स	वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4600
2	5500–9000 सिस्टर/वार्ड मास्टर	वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4200	7500–12000 नर्सिंग सिस्टर/सिंग वार्ड मास्टर	वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4800
3	6500–10500 पी0एच0एन0 ट्यूटर/ट्यूटर/थियेटर पर्यवेक्षक/मैट्रन	वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4200	8000–13500 सहायक नर्सिंग अधीक्षक	वे0बै0–3 15600–39100 एवं 5400

4	7500—12000 प्रधान ट्यूटर/ सिस्टर ट्यूटर मैट्रन	वे0बै0—2 9300 34800 एवं 4800	8000- 13500 उप नर्सिंग अधीक्षक **	वे0बै0-3 15600 -39100 एवं 5400
5	8000—13500 सहायक निदेशक	वे0बै0—3 15600—39100 एवं 5400	10000—15200 नर्सिंग अधीक्षक	वे0बै0 3 15600—39100 एवं 6600
6	10650—15850 संयुक्त निदेशक	वे0बै0—3 15600—39100 एवं 6600	12000—16500 मुख्य नर्सिंग अधिकारी	वे0बै0—3 15600—39100 एवं 7600

* इन पदधारकों द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व वहन करने की स्थिति में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से सहायक नर्सिंग अधीक्षक (पी0एच0एन0 ट्यूटर/ट्यूटर) पदनामित किया जा सकता है।

** इन पदधारकों द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व वहन करने की स्थिति में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से उप नर्सिंग अधीक्षक (प्रधान ट्यूटर) पदनामित किया जा सकता है।

(2) नर्सिंग कालेज, कानपुर में शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत उपलब्ध क्लीनिकल इन्सट्रक्टर, प्राध्यापक तथा प्रधानाचार्या के पदों पर चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग संवर्ग में उपलब्ध क्रमशः नर्सिंग सिस्टर/नर्सिंग वार्ड मास्टर, नर्सिंग अधीक्षक तथा मुख्य नर्सिंग अधिकारी के समान निम्नानुसार वेतनमान (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) निर्धारित किये जाये :—

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रुपये में	प्रस्तुत उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर	6500—10500 (वे0बै0—2, 9300—34800 एवं 4200)	7500—12000 (वे0बै0—2, 9300—34800 एवं 4800)
2	प्राध्यापक	8000—13500 (वे0बै0—3 15600—39100 एवं 5400)	10000—15200 (वे0बै0—3, 15600—39100 एवं 6600)
3	प्रधानाचार्य	10650—15850(वे0बै0—3, 15600—39100 एवं 6600)	12000—16500(वे0बै0—3, 15600—39100 एवं 7600)

(3) पूर्व उप प्रस्तर—1 की तालिका के स्तम्भ—4 के अनुसार उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाय।

(4) चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथिक विभाग तथा अन्य राजकीय विभागों में उपलब्ध नर्सिंग संवर्ग के पदों

पर, भर्ती की विधि, शैक्षिक/तकनीकी प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं तथा वेतनमान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एलोपैथिक नर्सिंग संवर्ग के पदों के समतुल्य निर्धारित किया जाय।

(5) प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न पदों पर वर्तमान में निर्धारित कार्य एवं उत्तरदायित्वों में, प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–15 में उल्लिखित केन्द्रीय नर्सिंग संवर्ग के पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्वों का समावेश स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय। तदनुसार नियमों में संशोधन कर लिया जाय।

(6) आयुर्वेदिक एवं यूनानी/होम्योपैथिक विभाग तथा प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में नर्सिंग संवर्ग के वर्तमान ढाँचे को सम्प्रति यथावत बनाये रखा जाये। उपर्युक्त विभागों में स्टाफ नर्स के पद से उच्च स्तर के पद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्धारित ढाँचे के अनुसार) विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर परीक्षणोपरान्त ही सृजित किये जायें।

(7) वर्दी, धुलाई भत्ते तथा अन्य भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां अलग से दी जायेगी।

(8) विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत विद्यमान नर्सिंग संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी। परिवार कल्याण विभाग में विद्यमान नर्सिंग संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में भी समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ परिवार कल्याण विभाग हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2— यह भी निर्णय लिया गया कि वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों की नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में दिये गये निम्न सुझावों के सम्बन्ध में सम्यक परीक्षण करते हुए सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय कराया जाये :—

(1) प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग के पदों की संख्या केन्द्र में निर्धारित मानकों को अपनाते हुए, बढ़ाये जायें।

(2) डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कालेजों में प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता बढ़ायी जाय। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 200 या उससे अधिक होने पर सम्बन्धित कालेज में उप प्रधानाचार्य का पद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

(3) प्रदेश में बी0एस0सी0 नर्सिंग की डिग्री प्रदान करने हेतु अतिरिक्त क्षमता सृजित की जाय तथा यथावश्यक अतिरिक्त संस्थान स्थापित किये जायें।

(4) आयुर्वेदिक एवं यूनानी नर्सिंग संवर्ग में उप नर्सिंग अधीक्षक तथा नर्सिंग अधीक्षक स्तर के पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग संवर्ग में लागू व्यवस्था/मानकों के अनुसार, दिये जाने पर विचार किया जाय।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

4— कृपया उपर्युक्त प्रस्तर–2 में अंकित सुझावों के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

<u>संख्या -वे0आ0–2–२०५९ (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।